कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्रकरण क्र 26...../5282/भूअर्जन/रेलवे– जयपुर उर्फ नयागांव/2017/ मुरैना दिनांक 7/7/2017

5282
07.07.17

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर–ष्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम जयपुर उर्फ नयागावं, तहसील व उपखण्ड मुरैना, जिला–मुरैना में कुल रकवा 1.550 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला–मुरैना तहसील–मुरैना के ग्राम–जयपुर उर्फ नयागांव प.ह.नं. 89, रा.नि. वृत–08 में उक्त परियोजना के लिये 0.560 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता है:–

सूची

क्र. स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टयर में	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता
1	772	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.059	कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह कौम गू0ठा0नि0 बुद्दी का पुरा भूमिस्वामी
2	773	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह कौम गू0ठा0नि0 बुद्दी का पुरा भूमिस्वामी
3	774	भूमिस्वामी	कृषि भूमि —	0.123	कुअरपाल रकवा 0.209 सन्तोषीलाल रकवा 0.449 बच्चुसिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह, रामजीत सिंह पुत्र दयाराम रकवा 0.627, सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन, सूरज बाई वेवा रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियॉ रामवरन जाति राठौर नि0 थाना का पुरा सं0भा0 रकवा 0.836 भूमिस्वामी
4	775/1 मिन.1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.312	कुअरपाल रकवा 0.209 सन्तोषीलाल रकवा 0.449 बच्चुसिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह, रामजीत सिंह पुत्र दयाराम रकवा 0.627, सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन, सूरज बाई वेवा रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियॉ रामवरन जाति राठौर नि0 थाना का पुरा सं0भा0 रकवा 0.836 भूमिस्वामी
	775/1 मिन.2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गू0ठा0नि0 बुद्दी का पुरा भूमिस्वामी

	775/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कुअरपाल रकवा 0.209 सन्तोषीलाल रकवा 0.449 बच्चुसिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह, रामजीत सिंह पुत्र दयाराम रकवा 0.627, सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन, सूरज बाई वेवा रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियॉ रामवरन जाति राठौर नि0 थाना का पुरा सं0भा0 रकवा 0.836 भूमिस्वामी
5	778	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.053	कमला पुत्री उत्तमसिंह जाति गू0ठा0नि0 बुद्दी का पुरा भूमिस्वामी

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करनें और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विषेष :– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थानः मुरैना
तारीखः7/7/2017

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव (म0प्र0)
शासन, राजस्व विभाग जिला मुरैना (म0प्र0)

24/अ-82
पृष्ठा क्र.5282/7/17/भू.अर्जन/रेलवे– जयपुर नयागांव/2017/5282/मुरैना दिनांक 7/7/2017
प्रतिलिपि:–

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचनप्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त जनसम्पर्क संचलनालय,भोपाल की ओर 2 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशन हेतु।
3. कलैक्टर जिला मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।

4. अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग बानमौर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार परगना बानमौर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटलों एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलैक्टर, जिला मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिग बेवसाई पर अपलोड हेतु।

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव (म0प्र0)
शासन, राजस्व विभाग जिला मुरैना (म0प्र0)